बारह अंकों का रहस्य

खतरा या समाधान?

भारत में एक नया रिवाज चल पड़ा है। वह यह कि दुनिया के विकसित देश जिस योजना को खारिज कर देते हैं, हमारी सरकार उसे सफलता की कुंजी समझ बैठती है। विशेष पहचान संख्या (यूआईडी) इसकी ताजा मिसाल है। मोटे तौर पर तो यह बारह अंकों वाला एक विशिष्ट पहचान पत्र है, जिसे देशवासियों को सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन यही पूरा सच नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो यहां कई रहस्य छुपे हैं। आज नंदन नीलेकणी एक परिचित नाम है। इन्हीं के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) का गठन किया है, जो इस योजना को अमलीजामा पहनाने की हदतोड़ कोशिश में लगा है। जबकि, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी जैसे कई देश अपने देशवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान का हवाला देकर ऐसी परियोजना को खारिज कर चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में भी इसका काफी विरोध हुआ है। पर यूपीए सरकार इस योजना को पूरा करने के लिए इस कदर आतुर है कि वह संसद और संविधान की अवमानना करने से भी नहीं चूक रही। ऐसी तत्परता किसी गहरे रहस्य की तरफ इशारा करती है

■ गोपाल कृष्ण

यूआईडी के संदर्भ में एकबारगी प्रसिद्ध सहित्यकार उदय प्रकाश की कहानी 'वारेन हेस्टिंग्स का सांड़' की याद आती है। इस कहानी में एक जगह नवाब सिराजुद्दौला के वफादार सिपहसालार मोहनलाल की बेटी चोखी, वारेन हेस्टिंग्स से पूछती है, ''क्या! ये बात सच है कि तुमने हमारे मुलुक का कोई नक्शा कागज पर बनवाया है?'' वारेन हेस्टिंग्स कहता है कि ''अरे, तो इसमें ऐसी क्या बात है, चोखी! ये तो जरूरी था।'' चोखी कहती है कि ''ये ठीक नहीं हुआ। सोचो, जो काम तुमने किया, क्या वो पहले कोई और नहीं कर सकता था? सोचो, किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया?'' आगे फिर चोखी कहती है, ''किसी ने ऐसा इसलिए नहीं किया, क्योंकि कोई इस मुलुक को मिटाना नहीं चाहता था। हमारे यहां जिसको मारना होता है, उसका बेसन का पुतला बनाकर उसे तलवार से काटते हैं। जैसे-जैसे पुतला कटता जाता है, वह भी कटता जाता है, फिर पुतले को आग में डाल देते हैं। भसम कुंड में।'' चोखी कहती है- ''बुंतू को, अब्दुल कादिर को, मेरे को, सबको पता है कि तुम फिरंग लोग उस कागज पर घोड़ा दौड़ाएगा, उसको बंदूक से मारेगा, उसको पिंजरे में डालेगा, उसको चूस-चूसकर खाएगा और जब तुम लोग यहां से जाएगा तो वो नक्शा अपने किसी गुलाम को सौंप जाएगा।'' यह सब कहने के बाद गर्भवती चोखी अपने पेट में खंजर भोंक लेती है। यह घटना कंपनी कानून के कारण 1769-70 में आए भीषण अकाल के बाद और चिरस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू होने से पहले की है।

दरअसल, 1785 के आसपास के भारत के नक्शे, 1975 और प्रणव मुखर्जी के 2009, 2010, और 2011 के बजट भाषण के बीच एक संबंध है, जिसे अभी तक समझा नहीं गया है। मार्च 1975 में कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को एक संचार तंत्र में गुंथने का स्वप्न देखा था। इसके लिए नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर का गठन हुआ। यह सेंटर सूचना एवं संचार तंत्र का एक मुख्य केंद्र बन गया है। आज उसी स्वप्न का मूर्त रूप भयावह संभावनाओं की तरफ बढ़ रहा है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मुहैया कराने की योजना शुरू की गई है। यह ऐसे समय में हुआ है जब ब्रिटेन सहित कई देशों ने इस योजना को रद्द कर दिया है। सैम पेत्रोदा प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। वे योजना आयोग के तहत पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशंस (पीआईआईआई) की योजना को एक नक्शे के जरिए क्रियान्वित कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि भारत के 53 केंद्रीय विभागों, राज्य सरकारों के 35 सचिवालयों, 640 जिला मुख्यालयों और 2.50 लाख पंचायतों को एक सूत्र में पिरोकर केंद्रित कर दिया जाए। पीआईआईआई सूचना का ऐसा खजाना तैयार करने में जुटा है, जिसमें विभिन्न दफ्तरों के साथ-साथ आम लोगों से जुड़ी शहरी-देहाती व जंगली जन-जीवन की एक-एक चीजों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार सभी सरकारी योजनाओं, जेलों, राशन व्यवस्था, खजानों, जमीन के रिकार्डों आदि को भी इस सूत्र में बांधने की कवायद है। पेत्रोदा कहते हैं, ''यदि आप व्यक्तियों, जगहों एवं प्रोग्रामों को चिन्हित कर सूचीबद्ध कर लेते हैं तो सूचनाओं को सुविधापूर्वक संगठित कर जन-सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।'' तो क्या सैम पेत्रोदा भी हेस्टिंग्स की राह पर हैं।

कहा जा रहा है कि सारी सूचनाएं सरकार के कुछ विश्वासी लोगों और कुछ खास निजी कंपनियों के हाथों में होगी, जिनके साथ पहले ही समझौता हो चुका है। इसी कड़ी में जनगणना के 15वें चरण में एक दूरगामी परिणाम वाली योजना राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को भी जोड़ दिया गया है जो विशिष्ट पहचान संख्या और पेत्रोदा के पीआईआईआई से संबंधित है। इन योजनाओं का रिश्ता कुछ अन्य प्रस्तावों एवं प्रस्तावित विधेयकों से भी है। इस तरह एक बार फिर निशानदेही करने और नक्शा बनाने के पुराने सिलसिले को संसद और नागरिकों को अंधकार में रखकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार संसद की अवमानना तक कर रही है। इसकी शुरुआत वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने स्वयं 2009 के अपने बजट भाषण से शुरू की। उस भाषण के 64वें पारा में उन्होंने यह कहा, ''भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इंटरनेट पर एक ऐसा डाटाबेस बनाएगी जो देशवासियों को जैव-सांख्यिकीय (बायो-मेट्रिक्स) जानकारी के आधार पर उनकी पहचान करेगा।'' आगे उन्होंने कहा ''इस विशिष्ट पहचान संख्या की पहली किश्त 12 से 18 महीने में जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए हमने 120 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।'' गौरतलब है कि इससे पहले ही 2006 के आसपास आई-टी क्षेत्र की विप्रो कंपनी ने योजना आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसका शीर्षक था 'भारतीय विशिष्ट पहचान की रणनीतिक दृष्टि'

> ''भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इंटरनेट पर एक ऐसा डाटाबेस बनाएगी जो देशवासियों को जैव-सांख्यिकीय (बायो-मेट्रिक्स) जानकारी के आधार पर उनकी पहचान करेगा।''

क्या है एल-1 और एक्सेंचर

एल-1 कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक बायोमैट्रिक तकनीक से संबंधित कंपनी है, जिसके बोर्ड में वहां के खुफिया विभाग के निदेशक भी रहे हैं। यह कंपनी अपनी वेबसाइट पर कहती है कि अमेरिकी एवं विदेशी मिलिट्री सर्विसेस, रक्षा और खुफिया तंत्र एल-1 के समाधान एवं सेवा पर निर्भर हैं, जिसकी मदद से वह मित्र एवं शत्रु की पहचान करते हैं।'' ऐसी कंपनी को भारतवासियों के बारे में जानकारी खतरे से भरा है। यूआईडीएआई ने अमेरिका की ही कंपनी एक्सेंचर के साथ भी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यह कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिकी होमलैंड सेक्युरिटी के स्मार्ट बोडर्स प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यह अपने वेबसाइट पर कहती है कि वह 'होमलैंड सेक्युरिटी विभाग के प्रति निष्ठावान है और इसके समाधानों में 'खुफिया बातों का संग्रह करना शामिल है। अमेरिका की नेशनल करप्सन इंडैक्स में इन दोनों कंपनियों का नाम है।

(स्ट्रेटजिक विजन ऑन दी यूआईडीएआई)। इस रिपोर्ट को गुप्त रखा गया है। 28 जनवरी, 2008 को एक शक्ति प्रदत्त मंत्रिसमूह ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण को इकट्ठा करने के लिए एक रणनीति बनाई। इस मंत्रिसमूह का गठन 4 दिसंबर, 2006 को ही नागरिकता कानून, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना को इकट्ठा करने के लिए किया गया था। इसकी पहली बैठक 27 नंवबर 2007 को हुई। इस मंत्रिसमूह की चौथी बैठक 7 अगस्त, 2008 को हुई, जिसकी अनुशंसाओं को सचिवों की एक समिति को सौंप दिया गया था। सचिवों की उक्त समिति ने 4 नवंबर, 2008 को भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के संबंध में यह निर्णय लिया कि शुरू में प्राधिकरण को एक एक्यूजिटिव अथॉरिटी के रूप में अधिसूचना जारी करने का अनुमोदन दिया जाए। जिसे बाद में उचित समय आने पर स्टैचुट्री अथॉरिटी बनाने का निर्णय लिया जाएगा।

नंदन नीलेकणी

ताज्जुब की बात है कि इस समय तक संसद की भूमिका का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। 28 जनवरी 2009 को प्राधिकरण को बनाने संबंधी निर्णय के बाद ही मुखर्जी ने इसका जिक्र अपने 2009 के बजट भाषण में किया। 2 जुलाई, 2009 को भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण परिषद ने इंफोसिस के पूर्व मुखिया नंदन निलेकणी को इस प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त करने का निर्णय किया, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहेगा। सरकार ने 22 अक्टूबर, 2009 को यूडीआई अथॉरिटी पर एक कैबिनेट समिति भी बनाई, जिसके ए.राजा भी सदस्य थे। इतना ही नहीं, 13 नवंबर, 2009 को विकीलिक्स ने यूआईडीएआई का एक 41 पृष्ठों वाला दस्तावेज उजागर किया। इस दस्तावेज में जानबूझ कर गलत-बयानी की गई है कि सबसे पहले भारत सरकार ने देशवासियों को स्पष्ट पहचान देने का प्रयास 1993 में किया था जो चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र के रूप में 2003 में सामने आया, जिसके जरिए भारत सरकार ने बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र को स्वीकृति दे दी।

यह तथ्य पूर्णतः गलत है। क्योंकि 2003 में जो पत्र चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया वह नागरिकों के लिए है न कि देशवासियों के लिए। यहां नागरिक एवं देशवासी के बीच अंतर को समझना अत्यंत जरूरी है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसी विकीलिक्स द्वारा जारी दस्तावेज में लिखा है, ''सभी देशवासियों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जा सकता है। यह विशिष्ट पहचान पत्र, पहचान का सबूत तो है, मगर यह नागरिकता का द्योतक नहीं है।'' इसी दस्तावेज में लिखा है कि यूआईडीएआई को एक वैधानिक निकाय के रूप में एक विधेयक द्वारा बनाया जाएगा, ताकि वह अपना उद्देश्य पूरा कर सके।

गौरतलब है कि यूआईडीएआई ने इस दस्तावेज में वादा किया था कि वह संसद से पारित विधेयक के द्वारा गठित होने के बाद ही अपने उद्देश्य को अंजाम देगा। यह दस्तावेज 13 नवंबर, 2009 का है। इससे साफ है कि यूआईडीएआई ने जान-बूझकर संसद की अवहेलना कर राज्य सरकारों, कंपनियों, बैंकों, संस्थाओं आदि के साथ सहमति-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। संसद की मंजूरी के बिना ही यूआईडीएआई दावा करती है कि यह वह नियामक प्राधिकरण होगा जो सेंट्रल आईडी डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) का प्रबंधन करेगा, यूआईडी संख्या जारी करेगा, देशवासियों की जानकारी अपडेट करेगा। साथ ही देशवासियों के पहचान की जब जरूरत पड़ेगी तब उसे प्रमाणित करेगा।

वित्त मंत्री ने अपने 2009 के बजट भाषण में यह कहते हुए अपनी खुशी जाहिर की कि ''निजी क्षेत्र की उच्च प्रतिभा ने कदम बढ़ाकर अंतरंग राष्ट्रीय महत्व वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ली है।'' इससे यह साफ होता है कि मुखर्जी फरवरी 2009 में ही जुलाई 2009 में होने वाले प्राधिकरण के चेयरमैन निलेकणी की तरफ साफ-साफ इशारा कर रहे थे। निलेकणी ने यूआईडीएआई का कार्यभार 23 जुलाई, 2009 को संभाला है। इससे पहले 22 जुलाई, 2009 को उन्होंने तत्कालीन सूचना एवं संचार मंत्री ए.राजा से मिलकर यूडीआई योजना के क्रियान्वयन के लिए समर्थन मांगा था। यह बताना भी उचित है कि विश्व बैंक के मुखिया राबर्ट जॉलिक ने 4 दिसंबर 2009 को निलेकणी से मुलाकात की थी। ऐसे में अमेरिकी सुरक्षा विभाग एवं सीआईए द्व ारा बनाए गए एक रिपोर्ट के अनुसार जैव-मापन (बायो-मैट्रिक्स) पद्धति में असफलता अंतर्निहित है। प्राधिकरण की ही जैव-मापन समिति ने अपने अध्ययन में कहा है कि 2-5 प्रतिशत लोगों के शरीर में कोई जैव मापन आंकड़े नहीं हैं, जिसकी प्राधिकरण को जरूरत है। मुखर्जी ने

''सभी देशवासियों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जा सकता है। यह विशिष्ट पहचान पत्र, पहचान का सबूत तो है, मगर यह नागरिकता का द्योतक नहीं है।''

2010 के बजट भाषण में भी इसका उल्लेख किया है। साथ ही कहा कि वे प्राधिकरण के लिए '1900 करोड़ रुपए का प्रावधान वर्ष 2010-11 के लिए कर रहे हैं।' इसी भाषण में उन्होंने विशेष परियोजना के लिए दूरसंचार सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की, जिसका चेयरमैन प्राधिकरण के चेयरमैन को बनाया।

दरअसल, मुखर्जी की घोषणा का संदर्भ पुराना है। अप्रैल 2010 में विश्व बैंक एल-1 आईडेंटिटिस सॉल्यूसन से समझौता करता है और 30 जुलाई, 2010 को एल-1 कंपनी यूआईडीएआई के साथ सहमति-पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर करती है। इससे यह साफ होता है कि असल में यूआईडी योजना विश्व बैंक ई-ट्रांसफॉर्म इनिसिएटिव (ईटीआई) का हिस्सा है, जिसमें जिमाल्टो, आईबीएम, एल-1 , माइक्रोसॉफ्ट और फाइजर जैसी निजी कंपनियां भी शामिल हैं। बैंक की इस योजना के तहत वर्तमान में 14 ऐसी योजनाएं विकासशील देशों में लागू हैं जो ई-गवर्नमेंट और ई-आईडी से जुड़ी है। बैंक के इस पहल के लिए जो कार्यशाला हुई उसमें कहा गया है कि विकासशील देशों में ई-गवर्नमेंट असफल हो गया, क्योंकि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक क्षेत्र अलग-अलग विद्यमान हैं। इसे सफल बनाने के लिए इनको एकीकृत करना होगा। यूआईडी योजना इसी पहल का हिस्सा है।

खैर, विशिष्ट पहचान संख्या की योजना पर फरवरी 2009 से काम जारी है। 2011 के बजट भाषण में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा, ''अभी तक बीस लाख पहचान संख्याओं को बांटा गया है और 1 अक्टूबर, 2011 से रोजाना 10 लाख पहचान संख्या बनाए जाएंगे।'' एडिटर्स गिल्ड की 2 दिसंबर, 2010 की सभा में पत्रकारों ने निलेकणी से पूछा कि पूरी परियोजना का कुल अनुमानित बजट कितना है, तब उनके पास कोई जवाब नहीं

संसद की अवमानना के लिए इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि संसद में इस विधेयक के पेश होने से पहले ही 29 सितंबर, 2010 को इस परियोजना का लोकार्पण कर दिया गया।

यूआईडी : संसद का मजाक

देशवासियों को पहचान संख्या मुहैया कराने का सफरनामा काफी पुराना है। गौर करने की बात यह है कि ऐसे समय में जबकि फरवरी, 2009 से लेकर अबतक विशिष्ट पहचान संख्या के क्रियान्वयन का सिलसिला जारी है, लेकिन यूपीए सरकार ने 3 दिसंबर, 2010 को भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। इससे पहले 24 सितंबर, 2010 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक को संसद में रखे जाने को मंजूरी दी। संसद की अवमानना के लिए इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि संसद में इस विधेयक के पेश होने से पहले ही 29 सितंबर, 2010 को इस परियोजना का लोकार्पण कर दिया गया। बावजूद इसके कि यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति, इस विधेयक की जांच-पड़ताल कर रही है। वहीं 2011 के बजट भाषण में मुखर्जी ने एक बार फिर संसद एवं संसदीय समिति की अनदेखी कर कहा, ''अभी तक 20 लाख पहचान संख्याओं को बांट दिया गया और 1 अक्टूबर 2011 से रोजाना 10 लाख पहचान संख्या बनाए जाएंगे।'' इसी बजट में यह भी जिक्र है कि प्राधिकरण के चेयरमैन वाली विशिष्ट परियोजनाओं की तकनीकी सलाहकार समूह ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है। इस रिपोर्ट की पृष्ट संख्या 26 पर 'विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण रणनीति सार का जिक्र है। रिपोर्ट में समाधान ढांचा और नेशनल इनफार्मेशन युटिलिटीज का भी जिक्र है, जिसका गठन ऐसी निजी कंपनियों के तौर पर किया जाएगा जो जनहित में काम करेगी। साथ ही जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना तो होगा, मगर मुनाफा बढ़ाना नहीं होगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब बातों का कोई जिक्र उस विधेयक में नहीं है, जिसे संसद में पेश किया गया और जिसे संसदीय समिति परख रही है। इससे संसद को अंधकार में रखने जैसी स्थिति बनती है।

जनगणना के तहत संग्रह की गई जानकारी को गोपनीय रखने की एक कानूनी जिम्मेवारी है, मगर एनपीआर के तहत एकत्रित जानकारी को विशिष्ट पहचान संख्या से जोड़ा जाएगा, जिससे सारे देशवासियों की सूचना विश्व बाजार में किसी भी समय उपलब्ध हो जाएगी।

था। जबकि इससे पहले ही 29 सितंबर, 2010 को इस परियोजना का लोकार्पण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपस्थिति में कर चुकी थीं।

यूपीए सरकार का एक अंग कहता है कि विशिष्ट पहचान संख्या स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। वहीं सरकार का दूसरा अंग कहता नजर आता है कि यह अनिवार्य है। भारतवासियों को अबतक यह नहीं बताया गया है कि यह संख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनआरपी), ड्राफ्ट लैंड टाइट्लिंग बिल- 2010, ड्राफ्ट पेपर ऑन प्राइवेसी बिल- 2010, पब्लिक इनफॉर्मेशन एंड इनोवेशन्स, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रीड और विश्व बैंक इनट्रांस्फार्म इनिसिएटीव से स्पष्ट रूप से जुड़ा है। ड्राफ्ट लैंड टाइट्लिंग बिल- 2010 में विशिष्ट सम्पत्ति पहचान संख्या का प्रावधान है। निलेकणी अपनी किताब इमेजिनिंग इंडिया में लिखते हैं कि राष्ट्रीय पहचान यदि सभी देशवासियों के पास हो तो एक कॉमन लैंड मार्केट यानी साझा भूमि बाजार तैयार हो जाएगा, जिससे गरीबी उन्मूलन में काफी मदद मिलेगी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के चिर-स्थाई भूमि व्यवस्था की याद दिलाता है। जिससे ऐसे जमींदारों की फौज का जन्म हुआ जो हमेशा के लिए कंपनी के वफादार हो गए और आज भी हैं। इस संबंध में निलेकणी ने हरनेंडो डी-सोटो की एक किताब हवाला देते हुए लिखते हैं कि अगर ऐसे पहचान की व्यवस्था होगी तो संविधान के विपरीत संपत्ति का मौलिक अधिकार वापस मिल जाएगा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। इससे यह साफ होता है कि विशिष्ट पहचान संख्या को लाने का असल इरादा यह है कि देश में संपत्ति आधारित प्रजातंत्र लाया जाय, जिसका जिक्र वाशिंगटन कानसेंस में भी है। यह एक भावी विश्व सरकार बनाने की प्रक्रिया प्रतीत होती है, जिसे भविष्य में तकनीकी मदद से संचालित किया जाएगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संबंध में यह जानना बहुत जरूरी है कि इसमें और जनगणना में काफी फर्क है। यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। जनगणना के माध्यम से जनसंख्या, साक्षरता, शिक्षा, आवास, घरेलू सुविधाएं, आर्थिक गतिविधि, शहरीकरण, प्रजनन दर, मृत्यु दर, भाषा, धर्म और प्रवासन आदि के संबंध में बुनियादी आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, जिसके आधार पर केंद्र व राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं और नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं। यह जनगणना एक्ट-1948 के तहत होता है। वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पूरे देश के नागरिकों की पहचान संबंधी आंकड़ों का समग्र भंडार तैयार करने का काम करेगा। इसके तहत व्यक्ति का नाम, उसके माता-पिता, पति-पत्नी का नाम, लिंग, जन्म स्थान और तारीख, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, राष्ट्रीयता, पेशा, वर्तमान और स्थायी निवास का

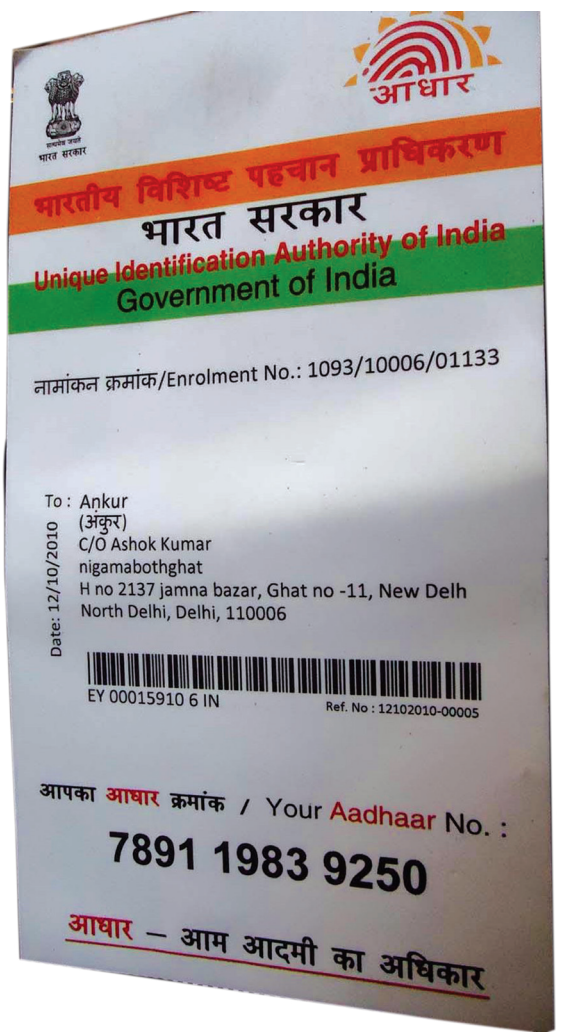

पता जैसी सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा। इस आंकड़ा भंडार में 15 साल की उम्र से ऊपर सभी व्यक्तियों की तस्वीरें और उनकी अंगुलियों के निशान भी रखे जाएंगे। शक्ति प्रदत्त मंत्रिसमूह के 28 जनवरी, 2008 के दूसरे बैठक में एनपीआर और यूआईडीएआई को इकट्ठा करने के लिए एक रणनीति भी बनाई है। यह प्रधानमंत्री की सहमति से हुआ है।

जनगणना के तहत संग्रह की गई जानकारी को गोपनीय रखने की एक कानूनी जिम्मेवारी है, मगर एनपीआर के तहत एकत्रित जानकारी को विशिष्ट पहचान संख्या से जोड़ा जाएगा, जिससे सारे देशवासियों की सूचना विश्व बाजार में किसी भी समय उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे में जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के जुड़ने से एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है। सरकार यह कबूल कर चुकी है कि जो जानकारी घर-घर जाकर सर्वे द्वारा संग्रह की जाएगी और जो बायो-मैट्रिक्स द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, वह यूआईडी में समाहित कर दिया जाएगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं नेशनल कमिश्नर डॉ. सी. चंद्रमौली की अगुवाई में इस बार जनगणना-2011 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से हुई। जनगणना का काम हो चुका है और जनगणना-2011 के मुताबिक भारत की कुल आबादी 121 करोड़ है। इस कार्य में देश के 640 जिलों, 5,767 तहसीलों, 7,742 शहरों और 6 लाख से ज्यादा गांवों और वहां के लोगों की गिनती हुई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में देशवासियों को यह नहीं बताया गया कि इस बार का जनगणना पहले वाले से भिन्न है, क्योंकि यह यूआईडी से स्वतः जुड़ जाएगा। देशवासियों को इस संबंध में जानबूझ कर अंधेरे में रखा गया है। दरअसल, 15वां जनगणना और पहली एनपीआर दूरगामी संभावनाओं को गर्भ में समेटे हुए है। जनगणना की शुरुआत अंग्रेजी सरकार द्वारा 1872 में हुई थी। यह प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या अंग्रेजी सरकार ने यह काम भारतवासियों के हित में किया था या अपने हित में? इस जनगणना से अंग्रेजी सरकार के क्या हित सधे थे? क्या इसकी समीक्षा हुई है? क्या जनगणना के अंग्रेजी सरकार के लक्ष्यों को बदल दिया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भी प्राधिकरण की तर्ज पर तस्वीर, अंगुलियों के निशान और आखों की परितारिका के आंकड़ों को इकट्ठा करेगा। नागरिकता कानून- 2003, विशिष्ट पहचान संख्या की स्वैच्छिकता के दावे की पोल खोल देता है। यह कानून हरेक व्यक्ति एवं परिवार के मुखिया को 'मुखबीर' के रूप में वर्गीकृत कर देता है। जिसे घर के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में हालिया जानकारी एनपीआर को उपलब्ध करानी होगी। अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा।

अब एक ऐसे समय में जबकि विशिष्ट पहचान संख्या नाम की इमारत बन चुकी है और उसकी नींव केंद्र और राज्य के बहुतेरे परियोजनाओं में डाले जा चुके थे, तब जून के आखिर में प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रस्तावित विधेयक का मसौदा रखा भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक- 2010 पर टिप्पणी करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। 13 जुलाई, 2010 को इसकी आखिरी तारीख थी। इस विधेयक की धारा 33 में लिखा है कि किसी भी सक्षम अदालत द्वारा मांगे जाने पर प्राधिकरण किसी भी देशवासी के बारे में जानकारी मुहैया करा देगा। इसी धारा में यह भी लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भी इन जानकारियों का खुलासा किया जाएगा, यदि संयुक्त सचिव स्तर या उसके समकक्ष अधिकारी संबंधित मंत्री से अनुमति ले लेता है। प्राधिकरण द्वारा मंगाई गई एक रिपोर्ट में भी यह लिखा गया है कि राज्य सत्ता के अलावा गैर राज्य सत्ता का खुले रूप से विशिष्ट पहचान अंक योजना से जुड़ना डर पैदा करता है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस योजना से नागरिकों के लगातार सरकार

यूआईडी संविधान की अवहेलना

पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र बाबू ने नवंबर 2009 में ही कहा था कि संविधान देशवासियों को निजता एवं सम्मान की गारंटी देता है, जिसे विशिष्ट पहचान संख्या योजना में नजरअंदाज किया गया है। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि जब सबके पास यूआईडी होगा तो जिसमें अभी कई साल लगेंगे तो किसी को भी पहचाना जाएगा। यदि उस समय किसी के पास यूआईडी संख्या नहीं होगी तो मुद्दा बन जाएगा।

कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक लोकतांत्रिक चुनाव में जिस 'पहचान' परियोजना को नकार दिया गया है, उसे ही भारत में लाया जा रहा है। गौरतलब है कि ब्रिटेन की वर्तमान सरकार इस वायदे पर चुनाव जीत कर बनी है कि वह इस परियोजना को रद्द कर देगी। इस सिलसिले में एक साथ दो विधेयक भारत एवं ब्रिटेन के संसद में पारित करने के लिए रखे गए हैं। ब्रिटेन की सरकार अपने यहां लागू पहचान पत्र एक्ट- 2006 को निरस्त करने के लिए एक बिल संसद में पेश किया है। इसका नाम 'द आईडेंटिटी डॉक्यूमेंट बिल-2010-11 है। ब्रिटेन की नई गृह सचिव टेरेसा मेय ने कहा है कि राष्ट्रीय पहचान पत्र सरकार की बदनियती की नुमाइंदगी करता है। यह ताका-झांकी करने वाला एवं धमकाने या धौंस जमाने वाला है। साथ ही बेकार एवं महंगा है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि मानव अधिकार पर हमला है। इसी बीच इस योजना के जनक रहे ब्रिटेन के पूर्व गृह सचिव डेविड ब्लंकेट ने भी पहचान कार्ड योजना को कुड़ेदान में डाल देने की बात कही है।

राजेंद्र बाबू

कैप्टन रघुरमन

की नजर पर रहने और इस डर का कुछ तबकों द्वारा इस्तेमाल एक मुद्दा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कैप्टन रघुरमन नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड विभाग के मुखिया है। इससे पहले वे महिंद्रा स्पेशल सर्विसेस ग्रुप के मुखिया थे और बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की सेफ्टी एंड सेक्यूरिटी कमिटि के चेयरमैन थे। इनकी मंशा का पता इनके द्वारा ही लिखित एक दस्तावेज से चलता है, जिसका शीर्षक 'असंवेदनशील मंदबुद्धि वाले लोगों का देश' है। इसमें इन्होंने लिखा है कि भारत सरकार देश को आंतरिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कर सकती। इसलिए कंपनियों को अपनी सुरक्षा के लिए निजी सेना का गठन करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि 'कॉर्पोरेट्स' सुरक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाएं। इनका निष्कर्ष यह है कि 'यदि वाणिज्य सम्राट अपने साम्राज्य को नहीं बचाते हैं तो उनके अधिपत्य पर आघात हो सकता है।'' इसी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में 3 लाख कंपनियों की नुमाइंदगी करने वाली एसोसिएट चौम्बर्स एंड कॉमर्स (एसोचेम) और स्विस कंसलटेंसी के एक दस्तावेज में यह खुलासा हुआ है कि विशिष्ट पहचान संख्या इससे जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2010 में यह दावा किया गया है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड 'सक्षम अधिकारी की अनुमति से 2011 में शुरू किया जाएगा। कैबिनेट इस संबंध में विस्तृत योजना रिपोर्ट 'कैबिनेट कमिटि ऑन सिक्युरिटी को स्वीकृति हेतु सौंप देगा। इस संबंध में बजट में 40.6 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यदि गौरपूर्वक 2011 के भाषण को पढ़ा जाए तो कम-से-कम सात ऐसे पैराग्राफ हैं जिसमें परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट पहचान संख्या का जिक्र है, जिसका विश्लेषण होना बांकी है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यूआईडी जैसे योजना का पुरजोर विरोध हुआ है। वहां इसे रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) कहा जाता है। यूआईडी की तरह ही आरएफआईडी भी जैवमापन (बायो-मैट्रिक्स) विशेषता के आधार पर प्रस्तावित था। साथ ही वह आवाज की वैशिष्टता के ऊपर भी निर्भर था, जिसे वहां के रियल-आईडी पहल से जोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिकी नागरिकों और राज्यों के विरोध के कारण यह शुरू नहीं हो सका। वहीं भारत में राज्य सरकारों की यूआईडी योजना को लेकर दूरगामी परिणाम की अनभिज्ञता चिंताजनक है।

निलेकणी, पैत्रोदा, कैप्टन रघु रमन और चंद्रमौली देशवासियों को अंधकार में रखकर अपने-अपने एक-दूसरे से जुड़े हुए उद्देश्य को अंजाम दे रहे हैं।

देश के 28 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकतर ने यूआईडीएआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कानून के जानकार बताते हैं कि इस समझौते को नहीं मानने से भी राज्य सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। पूर्व न्यायाधीश, कानूनविद और शिक्षाशास्त्री यह सलाह दे रहे हैं कि यूआईडी योजना से देश के संघीय ढांचे को एवं संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। राज्य सरकारों, केंद्र के कई विभागों और अन्य संस्थाओं को चाहिए कि यूआईडीएआई के साथ हुए एमओयू की समग्रता में समीक्षा करे और अनजाने में अधिनायकवाद की स्थिति का समर्थन करने से बचें। निलेकणी ने स्वयं यह घोषणा की है कि यूआईडी परियोजना से दुनिया को सूचनाओं के साथ सुविधापूर्वक संगठित कर जन-सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। यह सारी सूचनाएं सरकार के कुछ 'विश्वसनीय' लोगों और कुछ चुनिंदा कंपनियों के हाथों में होगी जो निजी कंपनियों के लोकहितकारी प्रयोगों से अचंभित है।

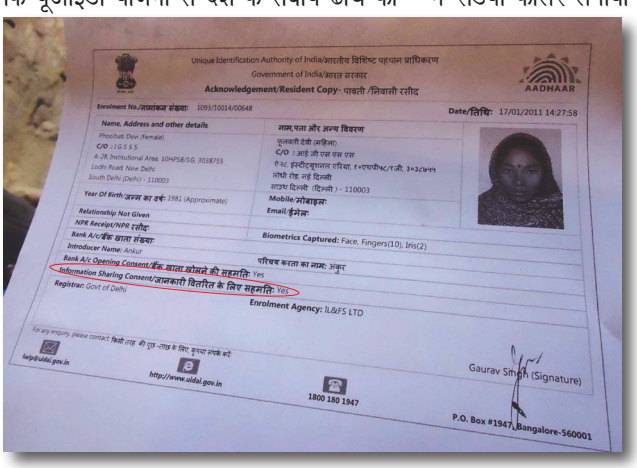

गौरतलब है कि यदि चिन्हित करना इतना ही अच्छा प्रयोग है तो जब अमेरिका के ट्राई वैली विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में भारतीय छात्रों को रेडियो कॉलर से टैग किया गया तो पूरे देश में आवेश क्यों फैला? देशवासियों के आवेशित भावना के फलस्वरूप 12 फरवरी, 2011 को विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने घोषणा की कि, "आपको यह जानकर खुशी होगी कि कुछ विद्यार्थियों के ऊपर से रेडियो कॉलर हटा लिया गया है और अन्य के मामलों पर भी कार्यवाही हो रही है।'' भारतीय दूतावास इस प्रकरण को निपटाने हेतु अमेरिका के होमलैंड सिक्यूरिटी विभाग को साथ काम कर रहा है। ज्ञात हो कि 18 भारतीय विद्यार्थियों के पैरों में रेडियो कॉलर लगाया गया था, उनमें से 12 के रेडियो कॉलर हटा लिए गए हैं। भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध किया है। तब विदेश सचिव, निरूपमा राव ने कहा था कि हम रेडियो कॉलर को अस्वीकार करते हैं और इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। यह भी हैरानी

Unique Identification Authority of India/भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Government of India/भारत सरकार
Acknowledgement/Resident Copy- पावती /निवासी रसीद
AADHAAR
Enrolment No./नामांकन संख्या: 1093/10014/00648
Date/तिथि: 17/01/2011 14:27:58

Name, Address and other details	नाम,पता और अन्य विवरण
Phoolbati Devi (Female) C/O : IGSSS A-28, Institutional Area, 10HP58/1G, 3038755 Lodhi Road, New Delhi South Delhi (Delhi) - 110003	फूलवती देवी (महिला) C/O : आई जी एस एस एस ए-२८, इंस्टीट्यूशनल एरिया, १०एचपी५८/१जी, ३०३८७५५ लोधी रोड, नई दिल्ली साउथ दिल्ली (दिल्ली) - 110003
Year Of Birth/जन्म का वर्ष: 1981 (Approximate)	Mobile/मोबाइल:
Relationship Not Given	Email/ईमेल:
NPR Receipt/NPR रसीद:	
Bank A/c/बैंक खाता संख्या:	Biometrics Captured: Face, Fingers(10), Iris(2)
Introducer Name: Ankur	परिचय करता का नाम: अंकुर
Bank A/c Opening Consent/बैंक खाता खोलने की सहमति: Yes	
Information Sharing Consent/जानकारी वितरित के लिए सहमति: Yes	
Registrar: Govt of Delhi	Enrolment Agency: IL&FS LTD

For any enquiry, please contact: किसी तरह की पूछ-ताछ के लिए, कृपया संपर्क करें:
help@uidai.gov.in
http://www.uidai.gov.in
1800 180 1947
Gaurav Singh (Signature)
P.O. Box #1947, Bangalore-560001

की बात है कि देशवासियों की पहचान के लिए यूआईडी संख्या की जरूरत को कब और कैसे स्थापित कर दिया गया, इसका उत्तर किसी के पास नहीं। पहचान के संबंध में यह 16 वां प्रयास है। चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव से पहले यह घोषणा करता है कि यदि किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वे अन्य 14 दस्तावेजों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये वे पहचान के दस्तावेज हैं जिससे देश में प्रजातंत्र एवं संसद को मान्यता मिलती है। ऐसे में इस 16वें पहचान की कवायद का कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता जिसे लोकशाही में स्वीकार किया जाए। दरअसल, निलेकणी, पैत्रोदा, कैप्टन रघु रमन और चंद्रमौली देशवासियों को अंधकार में रखकर अपने-अपने एक-दूसरे से जुड़े हुए उद्देश्य को अंजाम दे रहे हैं। ज्ञात हो कि कैबिनेट मंत्री के स्तर दर्जा पाकर काम कर रहे निलेकणी और पैत्रोदा ने पद और गोपनीयता की शपथ के परंपरागत सिद्धांत के विपरीत आचरण किया है।

यूआईडी संख्या से होने वाले पीडीएस और नरेगा के सुधार के दावों को ठोस तर्क के आधार पर खारिज कर दिया गया है। जन-स्वास्थ्य के बारे में यूआईडी संख्या से होने वाले लाभ के दावों की पोल भी खुल गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सोशल मेडिसीन एंड कम्युनिटी हेल्थ के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर मोहन राव ने स्वास्थ्य मंत्रालय को इससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में आगाह किया है। यूआईडीएआई के एक पेपर पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं कि मरीजों के रोगों के संबंध में संग्रह की गई जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। यूआईडी संख्या से उसका खुलासा हो जाएगा जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

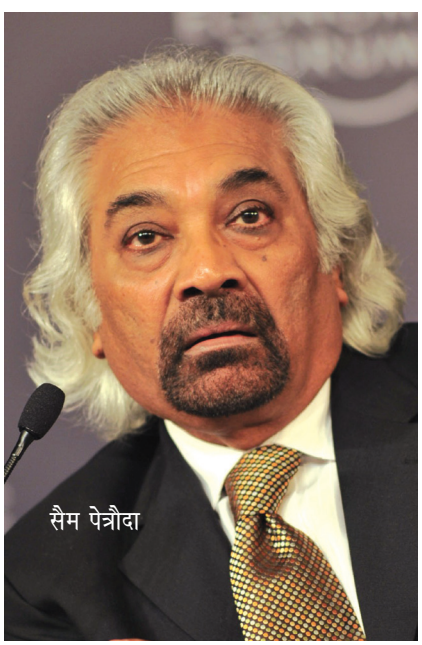
सैम पेत्रोदा

कई एतिहासिक संदर्भ भी भय पैदा करते हैं। जर्मनी में नाजी पार्टी के सनारूढ़ होने से पहले इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स (आईबीएम) जनगणना के काम में लिप्त थी। यह काम करते हुए आईबीएम ने यहुदियों को चिन्हित कर उनका एक डाटाबेस बना लिया। कंपनी उन दिनों पंच कार्ड तकनीक पर काम करती थी जो कंप्यूटर की पूर्ववर्ती तकनीक थी। इसके जरिए उसने यहुदियों की निशानदेही जनसंख्या का वर्गीकरण प्रणाली द्वारा कर लिया। इसी डाटाबेस को बाद में नाजी पार्टी को उपलब्ध कर दिया गया, जिसके कारण मानवीय विनाश को अंजाम दिया गया।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार देशवासियों से जुड़ी जानकारियों को विश्व बाजार में उपलब्ध कराने की मंशा से इस परियोजना को लागू कर रही है।

नाजियों ने यहूदी के शरीर पर नंबर गुदवा दिए थे, निशानदेही के लिए वाशिंगटन डीसी स्थित एक संग्रहालय में आईबीएम की संबंधित मशीन आज भी मौजूद है। अब आईबीएम विश्व बैंक के ई-ट्रांसफॉर्म इनिसिएटिव का हिस्सा है, जिसके तहत निलेकणी, पेत्रोदा, चंद्रमौली और रघु रमन अपनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार भविष्य में होने वाले दुरुपयोग को रोकने के संबंध में कोई आश्वासन भी नहीं दे सकती। किसी भी प्रकार का आश्वासन विश्वसनीय नहीं होगा।

कुल मिलाकर विशिष्ट पहचान संख्या एक ऐसी योजना है जिससे सभी देशवासियों की जानकारी एक केंद्रीकृत डेटाबेस में इकट्ठा की जाएगी। यह अंक देशवासियों के लिए है, जिसमें गैर-नागरिक भी शामिल होंगे। यह नागरिक पहचान संख्या नहीं है। ब्रिटेन में 2010 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान विपक्षी दलों ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि टोनी ब्लेयर की लेबर पार्टी की पहचान पत्र योजना को खत्म करेंगे। विप्रो के जून 2009 के दस्तावेज में ब्रिटेन की इसी परियोजना को अनुकरणीय बताया था। अब जबकि ब्रिटेन ने उसे रद्द कर दिया है, तो विप्रो की चुप्पी बताती है कि उनकी बोलती बंद है। मगर अप्रैल 2011 में विप्रो ने बोली लगाकर प्राधिकरण से एक ठेका ले लिया है जिसके बारे में अन्य कंपनियां भी सवाल उठा रही हैं। यह

चंद्रमौली

विप्रो वही कंपनी है, जिसने 2006 के आसपास विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण पर एक रिपोर्ट योजना आयोग को सौंपी थी। जानकार कहने लगे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार देशवासियों से जुड़ी जानकारियों को विश्व बाजार में उपलब्ध कराने की मंशा से इस परियोजना को लागू कर रही है।

बहुतेरे ईसाई धर्मावलंबियों की मान्यता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्यों को अपने सिर पर या कलाई पर कोई निशान या संख्या गुदवानी पड़ेगी, जिससे उन्हें खरीद-फरोख्त की वैश्विक व्यवस्था में शामिल कर लिया जाएगा। यह ईसाइयों के धर्मग्रंथ बाइबिल में की गई भविष्यवाणी है। यह उद्धरण बाइबिल न्यू टेस्टामेंट के 13वें अध्याय से है। इस धर्मग्रंथ में शैतान की निशानदेही का जिक्र आठ बार आता है। क्या कांग्रेस की सरकार अपने देश की व्यवस्था में इस भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए प्रयासरत है। बाइबिल के ही 19वें अध्याय में जिक्र है कि इस शैतान को जीत लिया जाता है और उसका खात्मा कर दिया जाता है।

पूरा इतिहास समकालीन है। इस इतिहास के मद्देनजर ब्रिटेन, ऑस्टेलिया, कनाडा, जर्मनी और फिलीपिंस की सरकारों ने अपने देशवासियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं सम्मान को बचाने के लिए ऐसी परियोजना को त्याग दिया है। भारत के पूंजीपतियों की मौजूदगी में मार्च -2011 में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 115 साल बाद अमेरिका का पीछा करते हुए चीन एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बन गया। उन्होंने कहा कि उनको विश्वास है कि भारत भी वहां तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी अंगुलियां भारत की नसों पर हैं। ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह ऐसा समझते हैं कि देशवासियों की निशानदेही से ही वह उस मुकाम तक पहुंचेंगे। ■■